

न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :- श्री राम रतन सौंकरिया, आर.ए.एस  
मुकदमा नम्बर 47/2024

श्री लालू राम यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जिला झुन्झुनू।  
बनाम

श्री विकास कुमार पुत्र श्री सुरेश कुमार, मैसर्स लक्ष्मी जनरल स्टोर, बस स्टेण्ड,  
टमकोर, जिला झुन्झुनू।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एफ.एस.एस.ए एक्ट 2006 व सपठित धारा नियम 2011

उपस्थिति:-

1. आवेदक की ओर से .....आवेदक स्वयं।
2. अनावेदक की ओर से .....अनावेदक स्वयं।

-निर्णय-

दिनांक : 16/8/24

श्री लालू राम यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू ने एक प्रार्थना पत्र एफ.एस.ए एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जो संक्षेप में निम्न प्रकार है:- कि आवेदक श्री लालू राम यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू में कार्यरत है। आवेदक को राज्य सरकार द्वारा बतौर खाद्य सुरक्षा अधिकारी जिला झुन्झुनू का समस्त क्षेत्र आवंटित हुआ है। आवेदक द्वारा अपना कर्तव्य पालन करते हुए दिनांक 01.04.2024 को मैसर्स लक्ष्मी जनरल स्टोर, बस स्टेण्ड, टमकोर, जिला झुन्झुनू का निरीक्षण किया गया। दौराने निरीक्षण दुकान पर अनावेदक श्री विकास कुमार पुत्र श्री सुरेश कुमार उपस्थित मिला जिसने स्वयं को दुकान का विक्रेता होना जाहिर किया। जिस पर अनावेदक से खाद्य पदार्थ लाइसेंस दिखाने के लिए कहा गया तो अनावेदक ने खाद्य सुरक्षा लाइसेंस होना जाहिर किया।

निरीक्षण के दौरान विक्रेता में संस्थान में लगभग 10 किलोग्राम खाद्य पदार्थ खोया (मावा) आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। जिसमें मिलावट का शक होने पर उक्त खाद्य प्रदार्थ खोया (मावा) में से सैम्पल लिया गया। सैम्पल को जांच हेतु भिजवाया जाने की प्रक्रिया पूरी कर सैम्पलो पर गवाहन के हस्ताक्षर करवाये गये। मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर अनावेदक व गवाहन को पढकर सुनाया तथा समझाया जाकर फर्द पर अनावेदक तथा गवाहन के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद पैक सैम्पल को खाद्य विश्लेषक जयपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट में खाद्य पदार्थ खोया (मावा) के सब-स्टेण्डर्ड फुड (Sub-standard Food) आने पर प्रार्थना पत्र तैयार कर सैम्पल लेते समय की गई समस्त कार्यवाही के दस्तावेज तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट प्रार्थना पत्र के साथ सलंगन कर प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

AdL

निर्णयन अधिकारी  
जिला झुन्झुनू

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदक को प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि सहित तलबी जारी की गई। जिस पर अनावेदक ने स्वयं उपस्थित होकर अपना लिखित जबाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया जाकर प्रार्थना पत्र में बहस अन्तिम सुनी गई।

अनावेदक/अभियुक्त का कथन है कि उसकी बस स्टेण्ड टमकोर, जिला झुन्झुनू में मैसर्स लक्ष्मी जनरल स्टोर के नाम से दुकान है जहां वह खोया (मावा) तैयार कर बेचान करता है। उसकी दुकान से खाद्य पदार्थ खोया (मावा) का सैम्पल लिया गया था जो सब-स्टेण्डर्ड (Sub-standard Food) पाया गया है। अनावेदक ने निवेदन किया कि वह भविष्य में अच्छे दुध से मावा तैयार कर बेचान करेगा तथा दुकान में साफ-सफाई का ध्यान रखेगा। अतः उसके विरुद्ध कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण किया जाये।

मैंने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जबाब व बहस पर ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया।

हस्तगत प्रकरण प्रकरण में खाद्य विश्लेषक राज जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं० एल.एस./1238/एक्ट/2024/1433 दिनांक 15.04.2024 के अनुसार खाद्य पदार्थ खोया (मावा) सब-स्टेण्डर्ड (Sub-standard Food) पाया गया है। जो एफ. एस.एस.एस.ए की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) के उल्लंघन में आता है। चूँकि अनावेदक अपनी दुकान मै० लक्ष्मी जनरल स्टोर पर खाद्य पदार्थ खोया (मावा) तैयार कर बेचान करता है तथा स्वयं दुकान मालिक है। अतः प्रकरण में खाद्य पदार्थ खोया (मावा) सब-स्टेण्डर्ड (Sub-standard Food) पाये जाने की स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अनावेदक श्री विकास कुमार पुत्र श्री सुरेश कुमार, मैसर्स लक्ष्मी जनरल स्टोर, बस स्टेण्ड टमकोर, जिला झुन्झुनू को धारा 26 की उपधारा (2) (ii) को दोषी मानकर प्रकरण में 15,000/-अक्षरे पन्द्रह हजार रुपये अर्थदण्ड/जुर्माने से दण्डित किया जाता है। उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट मद में 15 दिवस में जरिये चालान बैंक में जमा कराकर चालान की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश की एक प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू को भिजवाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 16/8/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(2024)  
(राम रतन साँकरिया)  
अतिरिक्त जिल्हा कलक्टर,  
झुन्झुनू।